परियोजना का नाम	:–	शा0संख्या –1754/111/-(2)/5-64(प्रा0आ0)/05 दिनाक 10/11/05 दिनाक 10/11/05 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम विसोगिलानी से उटैल होते हुये थैना मंन्दिर होकर काहा नेहरा पुनाहा तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कि0मी0 1 से 4.700 तक।

प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत ग्रामो को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :– **1754/111/-(2)/5-64(प्रा0आ0)/05 दिनाक 10/11/05** उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

यह समरेखण ग्राम **उटैल थैना** (स्थानीय जनता) के लिये निकटतम मार्केट पहुॅचने हेतु बाईपास की तरह प्रयोग किया जायेगा, जिससे ग्रामीणों को लगभग 27 किमी0 कम चलकर अपने फसलो को विक्रय हेतु नजदीकी मार्केट पहुॅचाने में सुविधा होगी, एवं ढुलान आदि में होने वाला खर्च भी कम होगा। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **1.225** है0, सिविल सोयम भूमि **0.315** है0 एवं वन पंचायत भूमि **1.750** है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि **0.000** है, भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षो की गणना 7 मीटर मे की गई है जो की वास्तविक रुप से पातन किये जाने है। मोटर मार्ग का निर्माण 6 मीटर मे होना प्रस्तावित है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु **2** संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत प्रस्तावित समरेखण कालसी–बैरठ खाई मोटर मार्ग के 14 किमी0 से प्रारम्भ होता है तथा 4.700 किमी0 चलकर ग्रम **उटैल थैना** पर समाप्त होता है। इस संरेखण में 5 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। महासू देवता मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके दर्शन हेतु दूर–दूर से लोग आते है परन्तु पैदल मार्ग अधिक चढ़ाई एवं लम्बा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिये दर्शन कठिन हो जाता है , परन्तु मार्ग के निर्माण से पर्यटन को बढ़ोतरी मिलेगी तथा दर्शन हेतु यात्रा सुगम हो जायेगी इस संरेखण में अधिकतर वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त बीच – बीच में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कमं होते है तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह समरेखण 1 की भॉति समरेखण कालसी–बैरठ खाई मोटर मार्ग के 13 किमी0 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में क्रमः ग्रेड–20,लेवल,+18,–20, लेवल ग्रेड़ दिये गये है, इस समरेखण में 6 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है, तथा ल0 5.000 कि0मी0 है। इस समरेखण से स्थानीय जनता

असहमत है, चूँकि समरेखण की ल0 अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण **नं0 2** को निरस्त कर संरेखण **नं0 1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण **नं01** को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकि, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **4.700** कि0मी0 लम्बाई में लो0नि0वि0 के मानकों के अनुसार **7** मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि **2.065**है0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता
अ0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया

सहायक अभियन्ता
अ0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया